

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-3/2010

/कृ०, पटना, दिनांक

नवम्बर, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, मा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री घनश्याम चौरषिया,  
मेसर्स क्रॉप लाइफ साइन्स लिमिटेड,  
द्वारा रामप्रित प्रसाद,  
S/O- रामलाल पासवान  
रसिदा चक, पलॉट नं०-650 अंश,  
पहाड़ी रोड, अगमकुआँ, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 35-36 दिनांक 15.04.2010 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-35-36 दिनांक 15.04.2010 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Emamectin Benzoate 5% SG
2	Diafenthiuron 50% WP

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स क्रॉप लाइफ साइन्स लिमिटेड, द्वारा रामप्रित प्रसाद, S/O- रामलाल पासवान, रसिदा चक, पलॉट नं०-650 अंश, पहाड़ी रोड, अगमकुआँ, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चेरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5613

/कृ०, पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहयक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(14)

02-12-2015

कृषि विभाग

निदेशक